न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 26 / 2024

1 सुनिता पुत्री बलबीरसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 ललिता पुत्री बलबीर सिंह पत्नी हरिसिंह निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 अनिता उर्फ पूजा पुत्री बलबीरसिंह पत्नी विजय सिंह निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 प्रमोद कुमार पुत्र बलबीरसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 सीता देवी पत्नी बलबीरसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 चन्द्रपति पत्नी दलीपसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 शिल्पा पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 गोरव पुत्र महेन्द्र सिंह
4 पुष्पा पुत्री महेन्द्र सिंह
5 वर्षा पुत्री महेन्द्र सिंह जरिये माता शिल्पा पत्नी महेन्द्रसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 सत्यवीर पुत्र दलीप
7 रमेश पुत्र दलीप
8 कमला पुत्री दलीप
9 रामनिवास पुत्री दलीप
10 सुरेश पुत्र दलीप
11 अनिता देवी पत्नी विद्याधरसिंह
12 आर्यन कुमार पुत्र विद्याधर सिंह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 साहिल कुमार पुत्र विद्याधर सिंह जरिये माता अनिता देवी पत्नी विद्याधर सिंह
14 मन्नी देवी पत्नी बीरबल
15 इन्द्रसिंह पुत्र गाड़सिंह
16 सम्पत पुत्री नानसिंह
17 ममता पुत्री नानसिंह
18 बबीता पुत्री नानसिंह
19 पूनम पुत्री नानसिंह
20 सुधेश पुत्री नानसिंह
21 पुजा पुत्री नानसिंह
22 मोनिका पुत्री नानसिंह
23 प्रवीण पुत्र नानसिंह
24 मूलसिंह पुत्र गाड़सिंह
25 रणजीसिंह पुत्र गाड़सिंह
26 भंवरी पुत्री भोमसिंह
27 शान्ति पत्नी भंवरसिंह
28 कमलेश पुत्र भंवरसिंह
29 सुरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह
30 कैलाशचन्द्र पुत्र मोहरसिंह
31 किताबो पुत्री मोहरसिंह
32 महिपाल सिंह पुत्र मोहरसिंह
33 सन्तोष पुत्री मोहरसिंह
34 जयसिंह पुत्र खमाणाराम
35 दलकोर देवी स्त्री खमाणाराम
36 बृजलाल पुत्री खमाणाराम
37 हीरालाल पुत्र खमाणाराम
38 दयानन्द पुत्र भगवानाराम
39 नन्दलाल पुत्र भगवानाराम
40 जमनाराम पुत्र रामनारायण
41 दाखा देवी स्त्री दाताराम (मृतक)
42 सुमेरसिंह पुत्र दाताराम
43 बिमला पुत्री दाताराम
44 बादामो पुत्री दाताराम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

45 नारायणी देवी स्त्री हरदेवाराम
46 सुभाषचन्द्र पुत्र हरदेवाराम
47 रोहिताश कुमार पुत्र हरदेवाराम
48 सज्जना पुत्री हरदेवाराम
49 संतोष पत्नी रामभगत
50 तनेश पुत्र रामभगत
51 सपना पुत्री रामभगत
52 रामकोरी पुत्री रामनारायण
53 झीमा देवी पुत्री रामनारायण
54 सुमन देवी पत्नी कुरड़ाराम
55 मनीष पुत्री कुरड़ाराम
समस्त निवासीगण जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
56 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
57 सुनिल कुमार पुत्र जयसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी चन्द्रपति आदि बनाम अनिता देवी आदि मु.नं. 39 / 2020 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.02.2021

अपील संख्या 27 / 2024

1 सुनिता पुत्री बलबीरसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 ललिता पुत्री बलबीर सिंह पत्नी हरिसिंह निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 अनिता उर्फ पूजा पुत्री बलबीरसिंह पत्नी विजय सिंह निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 प्रमोद कुमार पुत्र बलबीरसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 सीता देवी पत्नी बलबीरसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 चन्द्रपति पत्नी दलीपसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 शिल्पा पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 गोरव पुत्र महेन्द्र सिंह
4 पुष्पा पुत्री महेन्द्र सिंह
5 वर्षा पुत्री महेन्द्र सिंह जरिये माता शिल्पा पत्नी महेन्द्रसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 सत्यवीर पुत्र दलीप
7 रमेश पुत्र दलीप
8 कमला पुत्री दलीप
9 रामनिवास पुत्री दलीप
10 सुरेश पुत्र दलीप
11 अनिता देवी पत्नी विद्याधरसिंह
12 आर्यन कुमार पुत्र विद्याधर सिंह
13 साहिल कुमार पुत्र विद्याधर सिंह जरिये माता अनिता देवी पत्नी विद्याधर सिंह
14 मन्नी देवी पत्नी बीरबल
15 इन्द्रसिंह पुत्र गाड़सिंह
16 सम्पत पुत्री नानसिंह
17 ममता पुत्री नानसिंह
18 बबीता पुत्री नानसिंह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध सीकर

19 पूनम पुत्री नानसिंह
20 सुधेश पुत्री नानसिंह
21 पुजा पुत्री नानसिंह
22 मोनिका पुत्री नानसिंह
23 प्रवीण पुत्र नानसिंह
24 मूलसिंह पुत्र गाड़सिंह
25 रणजीसिंह पुत्र गाड़सिंह
26 भंवरी पुत्री भोमसिंह
27 शान्ति पत्नी भंवरसिंह
28 कमलेश पुत्र भंवरसिंह
29 सुरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह
30 कैलाशचन्द्र पुत्र मोहरसिंह
31 किताबो पुत्री मोहरसिंह
32 महिपाल सिंह पुत्र मोहरसिंह
33 सन्तोष पुत्री मोहरसिंह
34 जयसिंह पुत्र खमाणाराम
35 दलकोर देवी स्त्री खमाणाराम
36 बृजलाल पुत्री खमाणाराम
37 हीरालाल पुत्र खमाणाराम
38 दयानन्द पुत्र भगवानाराम
39 नन्दलाल पुत्र भगवानाराम
40 जमनाराम पुत्र रामनारायण
41 दाखा देवी स्त्री दाताराम (मृतक)
42 सुमेरसिंह पुत्र दाताराम
43 बिमला पुत्री दाताराम
44 बादामो पुत्री दाताराम
45 नारायणी देवी स्त्री हरदेवाराम
46 सुभाषचन्द्र पुत्र हरदेवाराम
47 रोहिताश कुमार पुत्र हरदेवाराम
48 सज्जना पुत्री हरदेवाराम
49 संतोष पत्नी रामभगत
50 तनेश पुत्र रामभगत
51 सपना पुत्री रामभगत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

52 रामकोरी पुत्री रामनारायण
53 झीमा देवी पुत्री रामनारायण
54 सुमन देवी पत्नी कुरड़ाराम
55 मनीष पुत्री कुरड़ाराम
समस्त निवासीगण जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
56 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
57 सुनिल कुमार पुत्र जयसिंह निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक
01.02.2024 व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.06.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी
चन्द्रपति आदि बनाम अनिता देवी आदि मु.नं. 39/2020

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अनिल कुमार मान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021, 01.02.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद विभाजन, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 164/72, 67, 68, 71, 73, 74 वाके ग्राम जाखड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 22.02.2021, अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2024 जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 स्वयं व 2 लगायत 5 के पिता महेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 लगायत 10 ने एक दावा विचारण न्यायालय के समक्ष बाबत विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उक्त दावा दिनांक 12.06.2020 को प्रस्तुत किया। दिनांक 08.09.2020 को आदेशिका में दर्ज किया कि तलबी की रजिस्ट्री की रसीदे पेश की वास्ते आदेश तामील में पत्रावली को रखा गया। दिनांक 22.02.2021 को सभी प्रतिवादीगण की तामील मानते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी तथा दिनांक 12.09.2023 को पुनः आदेशिका में दर्ज किया कि रजिस्ट्री की रसीदे पेश की गयी वास्ते आदेश तामील पत्रावली रखी गयी तथा दिनांक 12.10.2023 को पुनः एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2021 को ही कर दी गयी। जो कि अवैध है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की तामील होने से पहले ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है इसलिये उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2024 काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2020 को दावा प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 07.03.2021 को वादी महेन्द्रसिंह की मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लाये बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि वादी की मृत्यु का तथ्य ज्ञान नहीं है यह संभव नहीं है मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त है। दिनांक 11.10.2022 को नानसिंह की मृत्यु हो गयी तथा भगवानाराम की मृत्यु हो गयी तथा दाखादेवी की मृत्यु दिनांक

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

27.05.2023 को हो गयी। नानसिंह व भगवानाराम के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना व दाखादेवी का नाम हजफ करवाये बिना विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किये है मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की पर्याप्त तामील नहीं करवायी। अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं रही। अपीलार्थीगण को जवाब देही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है जो काबिले निरस्त है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि अपीलार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के रूप में पक्षकार थे। विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारान की जरिये रजिस्टर्ड तामील सम्यक रूप से करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई के उपरांत दिनांक 22.02.2021 को बाई मिट्स एंड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में विधि अनुसार सुनवाई कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया गया है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिये कोई चाराजोही नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 स्वयं व 2 लगायत 5 के पिता महेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 लगायत 10 ने एक दावा विचारण न्यायालय के समक्ष बाबत विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उक्त दावा दिनांक 12.06.2020 को प्रस्तुत किया। दिनांक 08.09.2020 को आदेशिका में दर्ज किया कि तलबी की रजिस्ट्री की रसीदे पेश की वास्ते आदेश तामील में पत्रावली को रखा गया। दिनांक 22.02.2021 को सभी प्रतिवादीगण की तामील मानते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी तथा दिनांक 12.09.2023 को पुनः आदेशिका में दर्ज किया कि रजिस्ट्री की रसीदे पेश की गयी वास्ते आदेश तामील पत्रावली रखी गयी तथा दिनांक 12.10.2023 को पुनः एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2021 को ही कर दी गयी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित किया गया है।

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की तामील होने से पहले ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव आईएलआर द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में आईएलआर द्वारा तहसीलदार को संबोधित पत्र से होती है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है।

विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2020 को दावा प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 07.03.2021 को वादी महेन्द्रसिंह की मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लाये बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। दिनांक 11.10.2022 को नानसिंह की मृत्यु हो गयी तथा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भगवानाराम की मृत्यु हो गयी तथा दाखादेवी की मृत्यु दिनांक 27.05.2023 को हो गयी। नानसिंह व भगवानाराम के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना व दाखादेवी का नाम हजफ करवाये बिना विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किये है मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा.सकती है।

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की पर्याप्त तामील नहीं करवायी। अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं रही। अपीलार्थीगण को जवाब देही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि अपीलार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर समस्त प्रतिवादीगण की सम्यक तामील के उपरांत जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर